कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) राजस्थान, जयपुर

कमांकः–एफ 15 ( ) 2014–15/गोप्र/प्रमुवसं/ 02/c दिनांकः–04.01.2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियम 25 के उप नियम (1) के अनुसार वर्ष 2014–15 में वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16–17 जून 2014 को आयोजित हुई थी। जिसमें श्री राजेन्द्र प्रसाद खींची पुत्र मिश्री लाल, वनपाल के विरूद्ध ए.सी.बी. भीलवाडा में एफ.आई. आर. संख्या 315 /2008 दिनांक 29.12.2008 में अभियोजना स्वीकृति जारी करने के कारण अभिशंषा बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त प्रकरण में महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 715–17 दिनांक 27.5.2020 द्वारा अपराध संख्या 315/2008 विरूद्ध श्री राजेन्द्र प्रसाद खींची, वनपाल नाका बदनौर रेंज जिला भीलवाडा (कोर्ट केस संख्या 54/2015 में माननीय विशिष्ठ न्यायधीश, सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा के पारित निर्णय दिनांक 13.9. 2019 द्वारा दोषमुक्त किए जाने एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश नही किए जाने का निर्णय लिए जाने तथा उप वन संरक्षक भीलवाडा के पत्रांक 4368 दिनांक 7.7.2020 द्वारा इन्हे निलम्बन अवधि में मिले निवाई भत्ता राशि को कम करते हुए पूर्ण वेतन, भत्ते राशि भुगतान किए जाने एवं निलम्बन अवधि को राज्य सेवा में निरन्तर एवं पेशन योग्य शुमार माने जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बन्द लिफाफे में रखी गई सिफारिश को दिनांक 6.8.2020 को खोले जाने पर इन्हे क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर वर्ष 2014–15 में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के रिक्त पदों के विरूद्ध वेतनमान 9300–34800 पे बैण्ड–2 ग्रेड पे –3600 में पदोन्नति किया जाता है। इनकी पदोन्नति दिनांक 1.4.2014 से प्रभावी होगी लेकिन पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्य ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। इनका नवीन पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण अनुसार किए जाने के आदेश प्रचलित किए जाते है:–

क्र.सं.	नाम कर्मचारी एवं पिता का नाम सर्व श्री	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	राजेन्द्र प्रसाद खींची पुत्र मिश्री लाल	सवाईमाधोपुर	उप वन संरक्षक भीलवाडा	रेंज अजमेर, कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

श्री राजेन्द्र प्रसाद खीचीं वनपाल द्वारा दिनांक **11.01.2021** तक क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देने पर यह मान लिया जावेगा की ये पदोन्नति के इच्छुक नहीं है एवं इस अवसर को फोरगो (Forgo) मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(श्रुति शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ)
राज.जयपुर

कमांकः–एफ 15 ( ) 2014–15/गोप्र/प्रमुवसं/ 03-11/c दिनांकः 04.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित है।
2. सयुंक्त शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/उप वन संरक्षक, अजमेर।
4. उप वन संरक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद खीचीं, वनपाल को तत्काल भारमुक्त कर नवीन पदस्थापन कार्यालय में दिनांक **11.01.2021** तक उपस्थिति देने हेतु निर्देशत करें।
5. प्रतिलिपि कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. श्री राजेन्द्र प्रसाद खीचीं, वनपाल कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा
7. क्षेत्रीय अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. रक्षी पत्रावली।

(जे.एस.दहिया)
उप वन संरक्षक (प्रस्था. अरा.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज.जयपुर